राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार/हरित क्रांति उप योजना

गोदाम निर्माण कार्यक्रम

कार्यान्वयन अनुदेश

वित्तीय वर्ष 2020–21

महत्वपूर्ण बिन्दु :–

(i) आवदेक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना।

(ii) स्वीकृति पत्र के साथ प्राक्कलन एवं नक्शा उपलब्ध कराना।

(iii) ले–आउट के समय सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

(iv) प्रत्येक गोदाम के लिए एक कृषि पदाधिकारी/कर्मी को सम्बद्ध करना।

(v) सम्बद्ध पदाधिकारियों/कर्मियों के साथ गोदाम निर्माण कार्य की प्रगति का पाक्षिक समीक्षा करना।

(vi) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु व्यक्तिगत रूचि लेना।

प्रस्तावना:– फसलों के उत्पाद के उचित भण्डारण के लिए संसाधनों का अभाव किसानों की समस्या को बढ़ाता है। उपयुक्त भंडारण के अभाव में अनाज की क्षति होती है। जैव कारकों से होने वाली क्षति को आधुनिक तकनीक अपनाकर कम किया जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर अनाजों के सुरक्षित भंडारण तथा कृषि आधारित उद्यमिता के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार एवं इसकी उप योजना हरित क्रांति योजना अन्तर्गत विपणन सहायता के लिए भण्डारण की सुविधा हेतु गोदाम निर्माण की योजना ली गई है जिसकी क्षमता 200 मे0 टन होगी। भंडारण की व्यवस्था होने से किसान कृषि उत्पादों का सुरक्षित भंडारण कर अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि राज्य सरकार को किसी भी योजना में गोदाम की आवश्यकता होगी तो गोदाम, लाभान्वित कृषकों द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराना होगा।

1. **लक्ष्य:–** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार एवं हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण योजना से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुसूची–1, 2 एवं 3** के रूप में संलग्न है। संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे विभाग द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप गोदाम निर्माण करायेंगे।

2. **कृषकों के चयन की प्रक्रिया :–**

2.1 कृषक प्रगतिशील एवं इच्छुक हों।

2.2 निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए 16% एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों के लिए 01% प्रतिशत का आरक्षण तथा सीमांत एवं लघु कृषक की भागीदारी 33% सुनिश्चित किया जायेगा।

2.3 जिलों के लिए स्वीकृत राशि से यह भी प्रयास किया जाय कि लाभुकों में से न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी हो।

2.4 कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी की अनुशंसा हो।

2.5 **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर कृषक का चयन किया जायेगा।

2.6 कृषक के साथ–साथ कृषकों के स्वयं सहायता समूह को भी योजना का लाभ दिया जायेगा।

2.7 गोदाम निर्माण में कृषकों के स्वयं सहायता समूह, बिहार राज्य बीज निगम द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादक, समूहों, एग्रीगेटर एवं Farmers Producer Organization (FPOs) को प्राथमिकता दी जायेगी।

2.8 गोदाम ऐसी भूमि पर निर्माण कराया जाय जहाँ सभी मौसमों में वाहन के आवागमन की सुविधा हो।

2.9 गोदाम निर्माण हेतु किसान के पास भूमि हो जिस पर कृषक का स्वामित्व हो एवं उसकी जमाबंदी कृषक के नाम से हो।

2.10 गोदाम निर्माण का लाभ एक किसान को एक बार ही देय होगा। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ दिया जायेगा। पूर्व में यदि किसी किसान अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को इस योजना अथवा किसी अन्य योजना से गोदाम निर्माण का लाभ दिया गया है तो वैसे किसान को गोदाम निर्माण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

3. आवेदन की प्रक्रिया :–

3.1 **आवेदन की प्राप्ति** :– आवेदक द्वारा सर्वप्रथम कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण किया जायेगा।

3.2 पंजीकरण करने के उपरांत गोदाम निर्माण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।

3.3 आवेदन सत्यापन के लिए संबंधित कृषि समन्वयक को भेजा जायेगा।

3.4 कृषि समन्वयक के सत्यापन के बाद आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत होगा। जिला कृषि पदाधिकारी के सत्यापन के बाद कार्यादेश एवं स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

3.5 कार्यादेश एवं स्वीकृति पत्र के साथ आवेदन संबंधित जिला के सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) एवं कृषि समन्वयक को भेजा जायेगा। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) संबंधित आवेदक के मापी पुस्तिका पर काम करेंगे एवं कृषि समन्वयक संबंधित आवेदक के द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट अपलोड करेंगे।

3.6 सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कृषि समन्वयक की जाँच रिपोर्ट एवं मापी पुस्तिका को आवेदन में अपलोड करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को स्वीकृति के लिए अनुशंसा करेंगे।

3.7 जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर CFMS से Integration का प्रावधान किया जा रहा है जिससे अनुदान राशि अंतरण किया जायेगा।

3.8 पंजीकरण से लेकर आवेदन सत्यापन एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया SMS से जोड़ा गया है जिसकी मदद से अद्यतन स्थिति आवेदन का आवेदक को दिया जायेगा।

3.9 MIS Generation की व्यवस्था जिला एवं मुख्यालय स्तर पर की जाएगी।

3.10 **आवेदन की जाँच** :– आवेदन की जाँच कृषि समन्वयक के द्वारा की जायेगी। आवेदन जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 5 (पाँच) दिनों में निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जायेगी। यह जाँच किसानों के द्वारा आवेदन में उल्लेखित स्थल पर जाकर की जायेगी। अन्य बातों के अतिरिक्त यह देखा जायेगा कि आवेदक प्रगतिशील किसान हैं या नहीं तथा उन्हें वास्तव में गोदाम की आवश्यकता है या नहीं। जमीन के कागजातों की जाँचकर सुनिश्चित किया जायेगा कि जमाबंदी आवेदक के नाम पर है।

3.11 **आवेदन की स्वीकृति** :– कृषि समन्वयक के सत्यापन के बाद आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत होगा। जिला कृषि पदाधिकारी के सत्यापन के बाद कार्यादेश एवं स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। स्वीकृति पत्र में किसानों को देय अनुदान तथा भुगतान की प्रक्रिया एवं गोदाम निर्माण पूर्ण करने की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। **स्वीकृति पत्र में गोदाम का उपयोग किसी भी स्थिति में अन्न भंडारण के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किये जाने का उल्लेख भी किया जायेगा।** स्वीकृति पत्र की एक प्रतिलिपि संबंधित सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) एवं कृषि समन्वयक को भी दी जायेगी जिससे की गोदाम निर्माण के क्रम में उक्त कर्मियों के द्वारा इसकी जाँच की जा सके।

3.12 स्वीकृति पत्र की दो मूल प्रतियां तैयार की जायेगी एवं उन पर किसान का भी हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा। एक प्रति कार्यालय में संधारित किया जायेगा एवं द्वितीय प्रति आवेदक किसान को, प्राक्कलन के साथ, उपलब्ध कराया जायेगा।

3.13 निर्मित गोदाम में कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लाभुक से इस संबंध में निश्चित रूप से एग्रीमेन्ट लिया जायेगा (शपथ प्रपत्र अनुसूची–4 पर संलग्न)।

4. **गोदाम निर्माण की प्रक्रिया** :–

4.1 गोदाम निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था किसान स्वयं करेंगे एवं किसान को जमीन के स्वामित्व के संबंध में साक्ष्य (जमाबंदी) उपलब्ध कराना होगा।

4.2 स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार किसान गोदाम निर्माण करायेंगे। लाभुक किसान कार्य प्रारम्भ करने की सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे। **जिला कृषि पदाधिकारी कार्य प्रारम्भ करने के दिन सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।** सहायक निदेशक, कृषि अभियंत्रण अपनी उपस्थिति में ले–आउट करायेंगे।

4.3 जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के तकनीकी पर्यवेक्षण में निर्माण कार्य करायेंगे तथा मापी पुस्त का संधारण करायेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी सत्यापित मापीपुस्त निर्गद्व करेंगे एवं मापीपुस्त को क्रमांकित करते हुए निर्गत किये गये मापीपुस्त की सूचना एक पृथक पंजी में संधारित करेंगे।

4.5 निर्माण कार्य तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप होने का सत्यापन संबंधित जिला/प्रमंडल में पदस्थापित सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) करेंगे।

4.6 किसान को निर्धारित तिथि तक गोदाम निर्माण का कार्य सम्पन्न कर लेना होगा अन्यथा राशि व्ययगत होने की स्थिति में अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

4.7 गोदाम पूर्ण होने के पश्चात यथाशीघ्र लाभुक किसान इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे। सूचना प्राप्ति के अधिकतम 15 दिनों के अन्दर इसकी जाँच कंडिका–5.1 के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4.8 किसान 200 मे० टन से अधिक क्षमता के गोदाम का निर्माण कर सकते है परन्तु अनुदान की राशि 200 मे० टन के लिए निर्धारित राशि तक ही सीमित होगी।

4.9 मॉडल प्राक्कलन के अनुसार गोदाम के छत का निर्माण एस्वेस्टस से कराया जायेगा। आर०सी०सी० छत मान्य नहीं होगा।

5. **निर्मित गोदाम का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन** :–

5.1 अनुदानित दर पर बनाये गये गोदाम का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन किसान के घर जाकर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। सत्यापन पदाधिकारी के द्वारा विहित प्रपत्र **(अनुसूची–5)** में भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा। तदुपरांत सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा गोदाम की तकनीकी जाँच कर प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अपलोड किया जायेगा **(जाँच का प्रपत्र अनुसूची–6 पर संलग्न)**। जिला कृषि पदाधिकारी जाँच से संतुष्ट होकर अनुदान भुगतान की कार्रवाई करेंगे।

5.2 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापन पदाधिकारी से अनुशंसा एवं कृषि अभियंता से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के अंदर अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से लाभुक को किया जायेगा।

6. **अनुदान दर**

1. **सामान्य श्रेणी** – रू० 5.00 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो।
2. **अनु० जाति/अनु० जनजाति** – रू० 9.00 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 75% जो भी कम हो (रू० 6.00 लाख प्रति इकाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार/हरित क्रांति उप योजना एवं रू० 3.00 लाख प्रति इकाई राज्य योजना से अतिरिक्त सहायता)।

7. **अनुदान भुगतान की प्रक्रिया**

7.1 **सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए** :– जाँच पत्र पर सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की अनुशंसा के आलोक में जाँच पत्र समर्पित होने के अधिकतम 15 दिनों के अंतर्गत लाभुक किसान को अनुदान राशि का भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा।

7.2 **अनु० जाति/अनु० जनजाति श्रेणी के किसानों के लिए** :– अनुदान की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा।

प्रथम किस्त :– लिन्टल कार्य के पश्चात मापी का 75% राशि अथवा 4.50 लाख तक जो भी कम हो।

द्वितीय किस्त :– कार्य पूरा होने के पश्चात पूरी मापी का 75% राशि अथवा पूर्व में भुगतान की गई राशि को जोड़कर 9.00 लाख तक जो भी कम हो।

7.3 **विशेष परिस्थिति** :– यदि कृषि अभियंता के द्वारा गोदाम की क्षमता 200 मे० टन से दस प्रतिशत तक कम पायी जाती है वैसी परिस्थिति में किसान को उसी अनुपात (Pro-rata basis) में अनुदान की राशि काटकर अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।

7.4 अनु० जाति/अनु० जनजाति के लाभुक किसान प्रत्येक किस्त के लिए निर्धारित स्तर तक कार्य पूरा होने के पश्चात अनुदान की राशि का भुगतान हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन देंगे। जिला कृषि पदाधिकारी मापी–पुस्तक की जाँच एवं किये गये कार्य के भौतिक सत्यापन के पश्चात अनुदान की राशि का DBT के माध्यम से भुगतान करेंगे।

8. अभिलेख संधारण :–

गोदाम निर्माण के स्थल का अक्षांश–देशान्तर के साथ निर्माण पूर्व एवं निर्माण के पश्चात फोटोग्राफ लेना अनिवार्य होगा। इसे अभिलेख में संधारित किया जायेगा।

9. गोदाम निर्माण पर अनुदान हेतु आवेदन/जाँच/स्वीकृति/भौतिक सत्यापन/सूची संधारण हेतु विहित प्रपत्रः–

गोदाम निर्माण के क्रम में वहाँ के प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से जाँच हेतु एक विवरणी तैयार की गई है जो **अनुसूची–6** के रूप में संलग्न है। विवरणी के अनुसार गोदाम निर्माण के क्रम में प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा समय–समय पर जाँच की जाएगी।

10. पर्यवेक्षी पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण :–

10.1 विभिन्न पदाधिकारियो के द्वारा उनके पद के सामने अंकित प्रतिशत के अनुरूप गोदाम निर्माण के लक्ष्य का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

पदनाम	लक्ष्य का प्रतिशत जिसका भौतिक सत्यापन किया जाना है।
प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)	20
जिला कृषि पदाधिकारी	100
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी	100
प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	100

10.2 जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के सभी प्रतिनिधियों को लाभान्वितों की सूची उपलब्ध करायेंगे।

10.3 जिला कृषि पदाधिकारी **अनुसूची–7** के अनुसार लाभुकों की सूची तैयार करेंगे एवं इसे कृषि निदेशालय तथा संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को उपलब्ध करायेंगे।

11. सूचना पट्ट :–

निर्मित गोदाम पर बड़े–बड़े अक्षरों में योजना का नाम/लाभुक का नाम/प्राक्कलित राशि/अनुदान की राशि/स्वीकृति वर्ष/बिहार सरकार, कृषि विभाग द्वारा सहायता प्राप्त करने का उल्लेख **अनुसूची–8** के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

12. **धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान की राशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई/शपथ पत्र :–**

भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया में यदि ऐसा पाया जाता है कि किसानों द्वारा गोदाम का निर्माण नहीं कराया गया है या किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया है या गोदाम का अन्न भंडारण के अलावे किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जाता है तो मुझसे अनुदान की राशि वसूल की जायेगी एवं मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा। मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। आवेदक से इस संदर्भ में शपथ पत्र अनुसूची–4 में लिया जाएगा।

13. **गोदाम निर्माण का प्राक्कलन एवं नक्शा :–**

13.1 गोदाम के निर्माण में मिट्टी का कार्य अनुमान्य नहीं होगा।

13.2 गोदाम का निर्माण के लिए सुलभ प्रसंग हेतु बिहार राज्य भंडार निगम, पटना द्वारा तैयार प्राक्कलन एवं नक्शा संलग्न किया जा रहा है **(अनुसूची–9)**। मानक प्राक्कलन में वर्णित हैंड टयूबवेल एवं शौचालय निर्माण की बाध्यता नहीं है। इस प्रकार गोदाम निर्माण की प्राक्कलित राशि 12,20,046.00 रू० होगी।

14. **प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता अभियान**

पंचायत/प्रखंड स्तर पर गोदाम पर दिए जाने वाले अनुदान की राशि एवं गोदाम की उपयोगिता के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। प्रचार–प्रसार में होने वाला व्यय जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा के पास उपलब्ध आकस्मिकता मद से किया जायेगा तथा इस हेतु लीफलेट आदि मुद्रित कराकर कृषकों/जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

15. **जिला कृषि पदाधिकारी का विशेष दायित्व**

गोदाम निर्माण के लिए अन्तरविभागीय समन्वय करने हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स के एजेंडा में गोदाम निर्माण मद को शामिल करने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे। यदि विशिष्ट आवश्यकता हो तो टास्क फोर्स के वर्त्तमान सदस्यों के अतिरिक्त एस0 एफ0 सी0, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी टास्क फोर्स की बैठक में आमंत्रित करने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे। टॉक्स फोर्स में जिला में पदस्थापित सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भी निश्चित रूप से भाग लेंगे।

15.1 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा गोदाम की उपलब्धता के संबंध में पूर्ण विवरण जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा एस0एफ0सी0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

15.2 जिला कृषि पदाधिकारी गोदाम का कार्य के अनुश्रवण एवं मापी एवं ले–आऊट से लेकर गोदाम निर्माण पूर्ण होने तक गोदाम निर्माण कार्य का अनुश्रवण एवं मापी किया जायेगा।

15.3 गोदाम निर्माण कार्यक्रम का अनुश्रवण जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा एवं इसका प्रतिवेदन कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। **जिला कृषि पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि गोदाम निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व पूर्ण करावें एवं अनुदान की राशि का त्वरित भुगतान करें।**

15.4 जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राक्कलन एवं नक्शा की प्रति किसान को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।